न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी, जयपुर–महानगर प्रथम

पीठासीन अधिकारी :– संजय कुमार मीना, RJS.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

संशोधित आदेश

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या :– 415/2026 पुलिस थाना कानोता, जयपुर पूर्व

(1)

जमानत आवेदन संख्या : 176/2026
सीआईएस संख्या : 170/2026

1. रायसिंह मीणा पुत्र लालाराम मीणा, उम्र 25 साल, निवासी नयागांव पीएस धाड, जिला टोंक।

(2)

जमानत आवेदन संख्या : 179/2026
सी.आई.एस. नं. : 169/2026

1. भरत यादव पुत्र कन्हैयालाल यादव, उम्र 22 साल, निवासी ग्राम शकरपुरा पीएस टोंक सदर, जिला टोंक हाल सेक्टर 03, प्रताप नगर, जयपुर।

2. जय प्रजापत पुत्र रामेश्वर लाल कुम्हार, उम्र 27 साल, निवासी गांव मालपुरा तहसील व थाना मालपुरा जिला टोंक हाल निवासी मकान नंबर 4/73 अम्बिका कॉलोनी, हाउसिंग बोर्ड बस स्टैण्ड के पास, पुलिस थाना पुरानी टोंक, जिला टोंक।

(3)

जमानत आवेदन संख्या : 178/2026
सी.आई.एस. नं. : 173/2026

1. मनराज यादव पुत्र हनुमान यादव, उम्र 22 साल, निवासी गांव रानोली, तहसील पीपलू, पीएस झिराना जिला टोंक हाल किरायेदार मकान नंबर सेक्टर 05 प्रतापनगर, पीएस मालपुरा गेट, टोंक रोड, जयपुर पूर्व।

(4)

जमानत आवेदन संख्या : 177/2026
सी.आई.एस. नं. : 174/2026

1. कृष्णा चतुर्वेदी पुत्र उमेश चतुर्वेदी, उम्र 20 साल, निवासी मकान नंबर 12, महोली रोड, पीएस कृष्णा नगर जिला मथुरा, उत्तरप्रदेश हाल विकास पीजी जगतपुरा, पुलिस थाना रामनगरिया जिला जयपुर पूर्व।

(5)

जमानत आवेदन संख्या : 175/2026
सी.आई.एस. नं. : 172/2026

1. भानुप्रताप सिंह पुत्र अजय सिंह, उम्र 24 साल, निवासी वार्ड नंबर 02, राजपूतों का मौहल्ला, गांव कोटडी (शिमार्ला) तहसील व थाना श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2. प्रवीण जांगिड पुत्र सीताराम जांगिड, उम्र 29 साल, निवासी वार्ड नंबर 08 डूंगर वाला मोहल्ला, गांव पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर, पीएस अजीतगढ़, जिला सीकर हाल निवासी जेल वाला चौराहा अलवर।

.....प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

विरूद्ध

राजस्थान राज्य

.....अभियोजन

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
अन्तर्गत धारा 319(2), 318(4), 336(2), 340(2), 61(2) बी.एन.एस.

उपस्थित :–

1. विद्वान अपर लोक अभियोजक, मनीष शर्मा, राज्य की ओर से।
2. विद्वान अधिवक्ता श्री दीपक कुमार शर्मा, अभियुक्त भरत यादव व जय प्रजापत की ओर से।
3. विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप मिश्रा, अभियुक्त रायसिंह मीणा की ओर से।
4. विद्वान अधिवक्ता श्री कपिल कुमार शर्मा, अभियुक्त भानूप्रताप सिंह व प्रवीण की ओर से।
5. विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल शर्मा, अभियुक्त मनराज की ओर से।
6. विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार शर्मा, अभियुक्त कृष्णा चतुर्वेदी की ओर से।

–: आदेश :– **दिनांक : 10.07.2026**

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जरिये अधिवक्तागण उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपराध में यह जमानत का आवेदन पत्र पृथक–पृथक इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जिनका सुविधा की दृष्टि से एकसाथ निस्तारण किया जा रहा है। संबंधित आरक्षी केंद्र से अनुसंधान पत्रावली तलब की गई, प्रस्तुत हुई।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी रमन शर्मा द्वारा पुसिल थाना कानोता में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि दिनांक 04.07.2026 को आनंद इंटरनेशनल कॉलेज कानोता, आगरा रोड में भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान के द्वारा बिजनेस कॉरस्पॉन्डेन्ट्स बिजनेस फैसिलिटेटर्स हेतु प्रमाणन परीक्षा तथा डेट रिकवरी एजेंट परीक्षा का आयोजन किया गया था। जिसकी आयोजना का प्रभार डेक्सिट ग्लोबल लिमिटेड जयपुर कम्पनी के पास था। परिवादी रमन शर्मा डेक्सिट ग्लोबल लिमिटेड जयपुर कम्पनी का विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि है। उक्त प्रयोजन हेतु चिन्हित परीक्षा केंद्रों में से एक आनंद इन्टरनेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जपुर (परीक्षा केंद्र कोड एनआर 2– आरजे–4762) राजस्थान था, जहां उक्त परीक्षा तीन पारियों में आयोजित की गई। जिसमें 650 अभ्यर्थी निर्धारित थे। कंपनी की तरफ से वेन्यू इंचार्ज श्री रवि सैन व अंकित पूनिया को नियुक्त किया गया था। परीक्षा की प्रथम पारी के दौरान दिनांक 04.07.2026 को लगभग 11.20 बजे पुलिसकर्मी उक्त परीक्षा स्थल पहुंचे तथा वेन्यू इंचार्ज से सम्पर्क कर कुछ विशिष्ट अभ्यर्थियों से संबंधित जानकारी दी तथा उनका सत्यापन/पुनः पुष्टिकरण करने को कहा। तत्पचात् पुलिस टीम ने उक्त

प्रयोगशाला में सीट–दर–सीट जाकर उल्लेखित व्यक्तियों की पहचान की। पूछताछ करने पर, उक्त प्रत्येक व्यक्ति ने किसी अन्य वास्तविक रूप से पंजीकृत अभ्यर्थी के स्थान पर, उस अभ्यर्थी के पहचान दस्तावेजों तथा प्रवेश पत्र का उपयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित प्रकार से प्रतिरूपण कर परीक्षा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाया जाना स्वीकार किया गया। उक्त अभ्यर्थियों में दिनेश कुमार यादव के स्थान पर भरत यादव, सूरज के स्थान पर रामसिंह मीणा, भानुप्रताप के स्थान पर प्रवीण, किरण मीणा के स्थान पर इंद्रा गुर्जर, उमेश सिंह गुर्जर के स्थान पर कृष्णा, आदित्य कुमार के स्थान पर जय प्रजापत बैठे थे। उपरोक्त प्रतिरूपण के कृत्य, वास्तविक अभ्यर्थियों एवं प्रतिरूपणकर्ताओं के बीच मिलीभगत के माध्यम से कूटरचना/धोखाधडी को अंजाम दिया गया है। अतः परीक्षा में पकड़े गए उक्त परीक्षार्थियों के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही करें.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 415/2026 धारा 319(2), 318(4), 336(2), 340(2), 61(2) बी.एन.एस. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का यह तर्क रहा कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को उक्त प्रकरण में गलत रूप से झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण नवयुवक हैं तथा विद्यार्थी हैं तथा न्यायिक अभिरक्षा में हैं, अधिक समय तक अभिरक्षा में रहने पर उनके भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने की आशंका है। प्रकरण में मृत्युदण्ड व आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान नहीं है। अनुसंधान व अन्वीक्षा में लंबा समय लगने की संभावना है। जमानत का लाभ दिये जाने पर उनके द्वारा प्रकरण के गवाहों को डराने धमकाने या बरगलाने का कोई अंदेशा नहीं है। अंत में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने अपराध गंभीर प्रकृति का होने से विरोध किया व जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. सुना गया। थानाधिकारी पुलिस थाना कानोता, जयपुर पूर्व की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार **अभियुक्त भरत यादव, मनराज यादव, जय प्रजापत, भानुप्रताप सिंह, प्रवीण जांगिड व कृष्णा चतुर्वेदी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना पाया गया है, जबकि अभियुक्त रायसिंह मीणा का आपराधिक रिकॉर्ड प्राप्त होना शेष बताया गया है।**

6. सुना गया। केस डायरी के अवलोकन करने से जाहिर होता है कि मुलजिमान पर अन्य व्यक्तियों के स्थान पर स्वयं बैठकर परीक्षा देने का आरोप है। इस प्रकरण में यह भी सामने आया है कि जिन मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने ऑनलाईन पंजीकरण के समय ही स्वयं की फोटो इत्यादि को डालते हुए अन्य व्यक्तियों के स्थान पर परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश–पत्र प्राप्त किए हैं। अतः प्रथम दृष्ट्या यह स्पष्ट है कि मुलजिमान ने ना केवल प्रतिरूपेण के द्वारा छल किया है, अपितु उन्होंने ऑनलाईन पंजीकरण में कूटरचना भी कारित की है और आज अनुसंधान अधिकारी ने तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की है, जिसके अनुसार मुलजिम राकेश यादव उर्फ मंगल सुनियोजित तरीके से अन्य व्यक्तियों को साथ मे लेते हुए

डमी केण्डिडेट बिठाकर परीक्षा दिलाने के गिरोह का संचालन करता है। अनुसंधान अधिकारी का कथन है कि मुलजिम संगठित गिरोह चलाता है जो इस प्रकार की परीक्षाओं असफल अभ्यर्थियों के स्थान पर अन्य व्यक्तियों को पैसे लेकर डमी केण्डिडेट बनाता है और परीक्षा दिलवाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह कृत्य संगठित रूप से चलाया जा रहा है और इसमें दस्तावेजों में कूटरचना करने के उपरांत डमी केण्डिडेट बिठाये जा रहे हैं। वर्तमान में इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हालांकि अनुसंधान अधिकारी ने इस मामले में बी.एन.एस. के अपराध ही प्रमाणित होना पाया है, विशेष अधिनियम के प्रावधानों में अपराध प्रमाणित नहीं पाया है, परंतु उपरोक्त विवेचनानुसार मुलजिमान का कृत्य काफी गंभीर किस्म का प्रतीत होता है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

6. परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **रायसिंह मीणा पुत्र लालाराम मीणा, भरत यादव पुत्र कन्हैयालाल यादव, जय प्रजापत पुत्र रामेश्वरलाल, मनराज यादव पुत्र हनुमान यादव, कृष्णा चतुर्वेदी पुत्र उमेश चतुर्वेदी, भानुप्रताप सिंह पुत्र अजय सिंह व प्रवीण जांगिड पुत्र सीताराम जांगिड** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एदत्नुसार अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश बस्सी
जयपुर महानगर प्रथम

7. आदेश आज दिनांक 10.07.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश बस्सी
जयपुर महानगर प्रथम

DEEPAK AGARWAL
"Authenticated Document"
Stenographer Gr.III
Digitally signed by DEEPAK AGARWAL
Date: 2026.07.13 10:00:15 +0530